संख्या–788जेड / 6–सा–1–10–61जी / 85

प्रेषक,

जी0पी0 वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

गृह (सामान्य) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 10 अगस्त, 2010

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन में मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–231जेड / 6–सा–1–09–61जी / 85, दिनांक 16 फरवरी, 2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन पर दिनांक 01.04.2010 से 79 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। अतः राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिनांक 01.04.2010 से प्रतिमाह निम्न गणनानुसार भुगतान देय होगा :–

1– पेंशन–	रू0	3150.00
2– मंहगाई राहत (79 प्रतिशत)–	रू0	2488.00
3– विभिन्न प्रयोजनों हेतु अनुमन्य धनराशि–	रू0	464.00
योग–	रू0	6102.00

(रूपये छः हजार एक सौ दो मात्र)

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनेत्तर–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–107–स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना–03–स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन–33–पेंशन / अनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–ई–12–1711 / दस–2010, दिनांक 09 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

पृ0सं0–786(1)जेड/6–सा–1–10–61जी/85 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2– निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, लखनऊ।

3– मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व सरकारी और बैंक लेखा विभाग, नया केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुम्बई।

4– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

5– समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।

6– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

8– निदेशक/सचिव, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ।

9– गृह (सामान्य) अनुभाग–1/2, उ0प्र0 शासन।

10– वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।

11– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6/12, उ0प्र0 शासन।

12– वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।